आदेश की क्रम संख्या और तारिख	न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, गिरिडीह वाद सं0–439/2022 जहांगीर अंसारी वगै0 **बनाम** अर्जुन तुरी वगै0 (धारा 144 दं0प्र0सं0)	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
01.10.2022	थाना प्रभारी, मु0 गिरिडीह से प्राप्त अप्राथमिकी संख्या 35/2022 के आधार पर उभय पक्ष के विरूद्ध निम्नांकित विवादग्रस्त भूमि पर दं0प्र0सं0 की धारा 144(i) के अर्न्तगत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए उनसे कारण–पृच्छा की मांग की गई :– **भूमि विवरणी** :– मौजा–चुंजका, थाना–गिरिडीह मु0, जिला–गिरिडीह अन्तर्गत खाता नं0 33 प्लॉट नं0 1119 रकवा 57 डी0, चौहदी–उ0–सिराज अंसारी पे0–स्व0 रोजन मियां का घर। द0–पी0सी0सी0 रोड पुरनानगर और बनियाडीह आने–जाने का रास्ता। पू0–असलम अंसारी, पे0–मो0 नासीर का इमाड़ा। प0–समसूल शेख पे0–स्व0 सराउद्दीन का रैयती प्लॉट। उभय पक्ष द्वारा अपना–अपना कारण–पृच्छा समर्पित किया गया। प्रथम पक्ष का दावा है कि इनके घर से आवागमन हेतु अवस्थित आम रास्ता को द्वितीय पक्ष के सदस्यों द्वारा बन्द कर दिया गया है एवं अवैध कब्जा कर रास्ता को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम पक्ष अपना खरीदी जमीन में भी 3.5 फीटपहले ही घर का निर्माण करते समय रास्ता छोड़े है। द्वितीयपक्ष का जमीन प्रथम पक्ष के मकान के पास नहीं है। जिए जमीन को द्वितीय पक्ष अपना बता रहें है वह गैरमजरूआ जमीन है, जिसे अवैध रूप से दखल करना चाहते हैं, जिसकी पुष्टि पुलिस प्रतिवेदन से भी होती है। प्रथम पक्ष का आगे दावा है कि उपरोक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष द्वारा बजरंगबली का मन्दिर का निर्माण किए जाने का जिक्र किया गया है, जो सार्वजनिक है। उसके बावजूद भी घेराबन्दी कर तनाव उत्पन्न करने का प्रयास द्वितीय पक्ष द्वारा किया जा रहा है। दूसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि विवादित खाता–प्लॉट के अर्न्तगत 20 डी0 जमीन अर्जुन तुरी ने दिनांक 12.12.1988 को शेख अब्दुल एवं अन्य से क्रय किया है तथा शान्ति–पूर्ण दखलकार है। उक्त भूमि पर बजरंगबली मन्दिर का भी निर्माण किया गया है एवं वर्ष 2012–13 तक का लगान रसीद निर्गत है। प्रथम पक्ष एवं ग्रामीणों के आवागमन हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा अपने हिस्सेकी जमीन में से समाज की बातों को मानते हुए 10 से 12 फीट का रास्ता दिया गया है। वादगत भूमि से प्रथम पक्ष का कोई वास्ता/सरोकार नहीं है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सूना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष का दावा है कि प्रश्नगत भूमि पर अवस्थित आम रास्ता को आवागमन हेतु उपयोग किया जा रहा है, परन्तु द्वितीय पक्ष उक्त रास्ता को बन्द कर दिए है, जबकि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि को केवाला के आधार पर दावा करते है। अतः मामले की वास्तविक स्थिति तक पहुँचने के लिए एवं उक्त भूमि को लेकर उभय पक्ष के बीच तनाव को देखते हुए इस वाद को धारा–147 दं0प्र0सं0 में परिवर्तित किया जाता है। उभय पक्ष को लिखित अभिकथन तथा अग्रेतर साक्ष्यों की कार्रवाई हेतु नोटिश निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 09.12.22 को रखें। लेखापित एवं संशोधित। 01/10/22 अनुमंडल दण्डाधिकारी, गिरिडीह। 01/10/22 अनुमंडल दण्डाधिकारी, गिरिडीह।	

Digitally signed by Vishal Deep Khalkho
Date: 2023.03.20 14:39:09 +05:30
Location: 192.168.29.151